न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 67/2020 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2020/ 00067)

रफीक मोहम्मद पुत्र रहीमबक्स जाति मुसलमान कुरेशी निवासी वार्ड सं. 12 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट

उपस्थितः 1.श्री रिशाल सिह राठौड़ – अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 13.12.2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 27.04.2016 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार भादरा के निर्णय दिनांक 21.09.2015 जिसके द्वारा अपीलाट को अतिक्रमी घोषित कर मालगुजारी की 50 गुणा की शास्ति राशि तावान आरोपित करने तथा अतिक्रमी को उक्त रकबे से बेदखल करने तथा कुर्क की गई फसल को नियमानुसार निलाम करने का आदेश दिया गया है, जिसके विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर में प्रथम अपील पेश कर आदेश दिनांक 21.09.2015 को अपास्त करने का निवेदन किया, जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.04.2016 द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज कर तहसीलदार भादरा का निर्णय दिनांक 21.09.2015 को यथावत रख दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ कैम्प नोहर में प्रस्तुत की गई। क्षेत्राधिकार परिर्वतन होने के कारण राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–6 के आदेश /1(17)राजस्व–6/2019/112 दिनांक 17.10.2019 की पालना में

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह अपील इस न्यायालय को स्थानान्तरित की गई।

3. इस न्यायालय में अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि तहसीलदार भादरा द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम के तहत दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया कि चक नं. 7 बी.एच.डी. की 0.480 हैक्टयर भूमि पर नाजायज काश्त कर रखी है। जिस पर अपीलान्ट ने उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश कर कथन किया कि वादगत भूमि सन् 1967 से पहले उनके पिता के कब्जा काश्त की थी, तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उनके कब्जा काश्त में चली आ रही है। प्रशासन गांव के संग अभियान 2002 में उक्त टी.सी. आवटन को अपीलान्ट द्वारा पुख्ता करवाया गया है । अपीलान्ट किसी कदर अतिचारी नही है। उक्त जवाब नोटिस को ना मानकर अपीलान्ट के विरूद्व शास्ति कायम कर दी, तथा इस पर तावान गलत रूप से कायम कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय में मात्र यह अंकित किया कि जिस वक्त तावान कायम किया गया था उक्त भूमि राजकीय भूमि थी मगर अपीलान्ट के द्वारा टी.सी. से पुख्ता होने के प्रमाण पेश किये थे जिस पर कोई गौर नही किया। निर्णय से पूर्व उक्त भूमि अपीलान्ट के नाम से गैरखातेदारी दर्ज हो चुकी थी। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.09.2015 व 27.04.2016 को निरस्त फरमाया जावे। अपीलान्ट पर शास्ति तावान की निरस्त की जावे।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट में

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पारित निर्णय दिनांक 27.04.2016 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। जिसके विरूद्व राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–6 की अधिसूचना/1(17)राजस्व–6/2019/112 दिनांक 17.10.2019 अनुसार द्वितीय अपील सुनने का क्षेत्राधिकार अदालतवाला को हासिल है। अपीलान्ट चक नं. 7 बी.एच.डी. की 0.480 हैक्टयर भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए तहसीलदार (राजस्व) भादरा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.9.15 को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल कर शास्ति राशि 170 रूपये तावान कायम किये गये। जबकि अपीलान्ट ने अपने जवाब मे यह कथन किया कि चक नं. 7 बी.एच.डी. मु. नं. 52 के किला नं. 4, 5 की 2 बीधा भूमि अपीलान्ट के पिता को सन् 1967 से टी.सी. पर आलोट थी, तथा प्रशासन गावो के संग अभियान वर्ष 2001 मे उक्त आवटन की गई भूमि जिसकी एक किश्त दिनांक 22.01.2002 को जमा करवाई गई। जिसके विरूद्व धारा 11/14 में अदालत में प्रकरण दर्ज हुआ जो दिनांक 18.04.2002 को अस्वीकार कर आवटन को बहाल रखा गया। इस संदर्भ में तहसीलदार भादरा द्वारा अपने निर्णय में यह आधार लिया गया की "गैर सायल ने वादगत भूमि से संबधित किसी भी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रस्तुत नही किया ना ही उसके मालिकाना हक से संबधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया। तथा उक्त भूमि को टी.सी. पर पुख्ता आवंटित होना बताया। किन्तु विवादित भूमि अभी भी राजस्व रिकार्ड मे सिवाय चक काबिल काश्त दर्ज है, अतः अप्रार्थी का उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया जाना साबित होता है।" जबकि गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जवाब के सलग्न आवटन आदेश राशि जमा कराने का चालान, अपर जिला कलक्टर नोहर का निर्णय दिनांक 18.4.02 की प्रति, उपखण्ड अधिकारी भादरा के आदेश दिनांक 7.7.03 की प्रति से स्पष्ट है कि भूमि अपीलान्ट को आवटन होकर किस्त जमा हो चुकी थी। केवल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होना शेष था, जो कि दौराने प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के समक्ष नामान्तकरण सं. 561 दिनांक 12.03.16 को अपीलान्ट के हक मे आवटित भूमि का नामान्तकरण भी स्वीकृत हो चुका है, इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नही किया। इस प्रकार अपीलान्ट प्रश्नगत

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

भूमि जो कि अपीलान्ट को आवटित है पर अतिचारी प्रमाणित नहीं होता है बल्कि प्रश्नगत भूमि अपीलान्ट को टी.सी से पुख्ता आवटित भूमि है जिसका राजस्व अभिलेख में अमल दरामद दौराने शेष था जिसका बाद में अपीलान्ट के पक्ष में अमल दरामद हो चुका है। राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद करने का दायित्व राजस्व अधिकारियो का है जिसके लिए अपीलान्ट को उत्तर दायित्व ठहराना न्यायोचित नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2016 एवं तहसीलदार भादरा का निर्णय दिनांक 21.09.2015 को खारिज किया जाता है।

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.स्व.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।